

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 532]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 सितम्बर 2022—आश्विन 7, शक 1944

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2022

“शुद्धिपत्र”

एफ-35-31-2019-M-इकतीस-163.—इस विभाग की दिनांक 30 जून, 2022 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 349 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-35-31-2019-M-इकतीस-102, के पृष्ठ क्रमांक 698 पर प्ररूप-क में:—

- (1) कोष्ठक, शब्द तथा अंक “[नियम 3 का उप नियम (2) देखिये]” के स्थान पर कोष्ठक, शब्द तथा अंक “[नियम 3 का उप नियम (1) देखिये]” स्थापित हुआ समझा जाए एवं तदनुसार पढ़ा जाए.
- (2) कोष्ठक, अंक तथा शब्द, “नियम 3 के उप-नियम (2) से (6)” के स्थान पर कोष्ठक, अंक तथा शब्द “नियम 3 के उप नियम (2) से (10)” स्थापित हुआ समझा जाए एवं तदनुसार पढ़ा जाए.

“CORRIGENDUM”

F-35-31-2019-M-XXXI-163.—In the Notification of this Department No. F-35-31-2019-M-XXXI-102, published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) No. 349 dated 30th June, 2022 at the page no. 698 (5) in the FORM-A:—

- (1) for the bracket, words and figures “[See sub-rule (2) of rule 3]” the bracket, words and figures “[See sub-rule (1) of rule 3]” be deemed to have been established and read accordingly.
- (2) for the bracket, figures and words “sub-rule (2) to (6) of rule 3” the bracket, figures and words “sub-rule (2) to (10) of rule 3” be deemed to have been established and read accordingly.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2022

“शुद्धिपत्र”

एफ-35-31-2019-M-इकतीस-164.—इस विभाग की दिनांक 30 जून, 2022 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 349 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-35-31-2019-M-इकतीस-106 में:—

- (1) पृष्ठ क्रमांक 698 (12) में शब्द, अंक तथा कोष्ठक “नियम 9 में, उप-नियम (5)” के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक “नियम 9 में, उप-नियम (पांच)” स्थापित हुआ समझा जाए एवं तदनुसार पढ़ा जाए.
- (2) पृष्ठ क्रमांक 698 (15) पर प्ररूप-17 के अन्त में स्थान व दिनांक के दाहिनी ओर रिक्त स्थान में पहली पंक्ति में “हस्ताक्षर”, एवं द्वितीय पंक्ति में हस्ताक्षर के नीचे “अध्यक्ष, ज. उ. सं.” स्थापित हुआ समझा जाए एवं तदनुसार पढ़ा जाए.

“CORRIGENDUM”

F-35-31-2019-M-XXXI-164.—In the Notification of this Department No. F-35-31-2019-M-XXXI-106, published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) No. 349 dated 30th June, 2022 at the page no. 698 (18) for the words, figures and bracket “In rule 9, in sub-rule (5)” the words, figures and bracket “In rule 9, in sub-rule (V)” be deemed to have been established and read accordingly.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. टेकाम, उपसचिव.